

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-नीलम लखारा

प्रकरण संख्या:- 42/2018 (2018/00083)

तारीख दायर-22.06.2018

तारीख निर्णय-28.09.2020

1. श्री सोहनसिंह पिता खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।
2. सुश्री शीला कुंवर पिता खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।
3. श्रीमती प्रताप कुंवर बेवाखुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से- श्री बंशीलाल तेली

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा पुनावली पटवार हल्का पुनावली की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 85 में वर्णित कुल आराजीयात किता 35 रकबा 3.9200 है0 भूमि स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर अपने अपने हिस्से पर काबित काशत हो काशत करते चले हा रहे है। परन्तु मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार काबिज होने से आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई मर्तबा विभाजन हेतु कहा जिस पर प्रतिवादीगण तैयार नहीं होने से वाद कारण बना ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया की वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन मिट्स एवं बाउंड्स के आधार पर किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता श्री बंशीलाल तेली के उपस्थित हो ईकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रकरण में ईकबालिया जवाब

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अधिवक्ताओ ने अपने बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वाद पत्र में अंकित किये है। हमने विद्वान अधिवक्ताओ की बहस बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन चाहते है। प्रकरण मे ईकबालिया जवाब पेश होने से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पुनावली पटवार हल्का पुनावली की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 85 में वर्णित कुल आराजीयात किता 35 रकबा 3.9200 है0 वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमीशन नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिशनर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग-लगभग बराबर-बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पुनावली पटवार हल्का पुनावली की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 85 में वर्णित कुल आराजीयात किता 35 रकबा 3.9200 है0 भूमि में आराजी संख्या/ रकबा क्रमश 1947/0.1000, 1949/0.0900, 1903/0.2500, 1655/0.1200, 1652/0.0500, 1587/0.2150, 1734/0.0700, 1736/0.1100, 1737/0.0800, 1908/0.3800, 1772मी0/0.0550, 2571/0.1250, 2572/0.0550, 2574/0.0300 कुल किता 14 रकबा 1.7300 है0 भूमि का श्री सोहनसिंह पिता खुमसिंह को 5/6 एवं श्रीमती शीला कुंवर पिता खुमसिंह को 1/6 हिस्से (रहन सम्पूर्ण एसबीबीजे सायरा) का काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी संख्या/ रकबा क्रमश 1936/0.3100, 1935/0.0250, 1937/0.0750, 1938/0.0200, 1905/0.3550,

Nellam
उपखण्ड अधिकारी
 गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

1659 / 0.1100, 1621 / 0.0200, 1622 / 0.1000, 1623 / 0.1150, 1663 / 0.0100,
1756 / 0.0100, 1755 / 0.1600, 1747 / 0.0900, 1697 / 0.0600, 1674 / 0.0200,
1675 / 0.0150, 1774 / 0.0550, 1886 / 0.1450, 1772 / 1- 0.0350 कुल किता 19 रकबा
1.7300 है० भूमि का श्री लक्ष्मण सिंह पिता खुमसिंह को 5/6 एवं श्रीमती शीला कुंवर
पिता खुमसिंह को 1/6 हिस्से (रहन सम्पूर्ण एसबीबीजे सायरा) का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या / रकबा कंमश 1662 / 0.0100,
1757 / 0.2300, 1881 / 0.2200 कुल किता 3 रकबा 0.4600 है० भूमि में श्री सोहनसिंह,
लक्ष्मणसिंह, शीला कुंवर पिता खुमसिंह (रहन सम्पूर्ण एसबीबीजे सायरा) को शामलाती
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें।
पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
मोहवा, पंचाल-उदयपुरराज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)
वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:-नीलम लखारा

प्रकरण संख्या:- 42/2018 (2018/00083)

तारीख दायर-22.06.2018

तारीख निर्णय-28.09.2020

1. श्री सोहनसिंह पिता खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से- श्री बंशीलाल तेली

निर्णय

पुनावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 28.09.2020 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा पुनावली पटवार हल्का पुनावली की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 85 में वर्णित कुल आराजीयात किता 35 रकबा 3.9200 है0 भूमि में आराजी संख्या/ रकबा कंमश 1947/0.1000, 1949/0.0900, 1903/0.2500, 1655/0.1200, 1652/0.0500, 1587/0.2150, 1734/0.0700, 1736/0.1100, 1737/0.0800, 1908/0.3800, 1772मी0/0.0550, 2571/0.1250, 2572/0.0550, 2574/0.0300 कुल किता 14 रकबा 1.7300 है0 भूमि का श्री सोहनसिंह पिता खुमसिंह को 5/6 एवं श्रीमती शीला कुंवर पिता खुमसिंह को 1/6 हिस्से (रहन सम्पूर्ण एसबीबीजे सायरा) का काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या/ रकबा कंमश 1936/0.3100, 1935/0.0250, 1937/0.0750, 1938/0.0200, 1905/0.3550, 1659/0.1100, 1621/0.0200, 1622/0.1000, 1623/0.1150, 1663/0.0100, 1756/0.0100, 1755/0.1600, 1747/0.0900, 1697/0.0600, 1674/0.0200, 1675/0.0150, 1774/0.0550, 1886/0.1450, 1772/1- 0.0350 कुल किता 19 रकबा 1.7300 है0 भूमि का श्री लक्ष्मण सिंह पिता खुमसिंह को 5/6 एवं श्रीमती शीला कुंवर पिता खुमसिंह को 1/6 हिस्से (रहन सम्पूर्ण एसबीबीजे सायरा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।


उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)